दिनांक 08.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

ए0एच0टी0 थानों (Anti-Human Trafficking Police Station) के सुदृढीकरण एवं मानव दुर्व्यापार/गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों में आवश्यक दिशा–निर्देश

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद/जी0आर0पी0 उ0प्र0 को ए0एच0टी0 थानों (Anti-Human Trafficking Police Station) के सुदृढीकरण एवं मानव दुर्व्यापार/गुमशुदा बच्चों से सम्बंधित प्रकरणों में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश दिये गये :–

मानव दुर्व्यापार (तस्करी) एक विश्वव्यापी संगठित अपराध है, बी0एन0एस0 2023 की धारा 143 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को धमकियों, प्रलोभन अथवा बल का प्रयोग करके, जबरदस्ती, अपहरण, कपट या धूर्तता अथवा उत्प्रेरण द्वारा (जिसमें भर्ती करना, परिवहन, आश्रय आदि सम्मिलित है) नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिये कोई लेन–देन आदि किया जाता है तो यह मानव दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है। यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, जबरन मजदूरी, जबरन शादी, घरेलू दासता. अवैधानिक रूप से गोद लेना, भीख मंगवाना, अंग प्रत्यारोपण, नशीली दवाओं का दुर्व्यापार आदि मानव तस्करी के विभिन्न रूप हैं जो महिलाओं एवं बच्चों के बुनियादी मानवाधिकारों का हनन है।

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस विभाग के अंतर्गत एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट गठित की गई है जिसे वर्तमान में थाने के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है. साथ ही बजट आवंटन कर दो पहिया व चार पहिया वाहन, कम्प्यूटर, फर्नीचर, कैमरा, वायरलेस सेट, मोबाइल इत्यादि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। ए0एच0टी0 थानों के सुदृढ़ीकरण करने तथा मानव तस्करी/गुमशुदगी के अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही के संबंध में पूर्व में निर्गत निर्देशों के क्रम में निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं जिनका अनुपालन सर्वथा सुनिश्चित किया जाये–

मानव दुर्व्यापार रोधी थानों का सुदृढ़ीकरण

- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक जनपदीय ए0एच0टी0 थाने में कम से कम 01 निरीक्षक, 02 उपनिरीक्षक, 02 मुख्य आरक्षी तथा 02 आरक्षी की तैनाती किया जाना अपरिहार्य है, यह संख्या अपराध एवं कार्यभार के अनुसार बढ़ाई जाये।
- प्रायः ए0एच0टी0 थाने में तैनात पुलिस बल को अन्य कार्यों (कानून व्यवस्था व अन्य सुरक्षा गश्त आदि) हेतु डयूटी पर लगा दिया जाता है, जिससे ए0एच0टी0 थाने से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण विवेचनात्मक कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए सभी को निर्देशित किया जाता है कि ए0एच0टी0 थाने में कार्यरत पुलिस बल को यथासंभव अन्य कार्यों में न लगाया जाय।

- ए0एच0टी0 थाने के संसाधनों का प्रयोग अन्य किसी कार्य हेतु न किया जायें।

प्रथम सूचना रिपोर्ट

- ए0एच0टी0 थाने पर प्राप्त होने वाले मानव तस्करी के प्रकरणों में बिना विलम्ब किये प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाये तथा अविलम्ब विवेचनात्मक कार्यवाही/सर्च/रेस्क्यू आपरेशन प्रारम्भ किया जाये।
- मानव तस्करी से सम्बन्धित कोई शिकायत स्थानीय थाने में प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता की शिकायत को स्थानीय थाने पर ही तत्काल सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 पंजीकृत कर एफ0आई0आर0 की एक प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात प्रकरण को अविलम्ब (24 घंटे के भीतर) ए0एच0टी0 थाने को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को दी जायेगी।
- स्थानीय थानों में पंजीकृत होने वाले गुमशुदगी या अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित ऐसे सभी अभियोगों को, जिनमें विवेचना के दौरान किसी भी समय मानव तस्करी से संबंधित कोई साक्ष्य प्रकट होते है, तो उन्हें ए0एच0टी0 थाने को स्थानांतरित कर दिया जाये।
- जनपदीय थानों द्वारा मानव तस्करी से सम्बन्धित स्थानान्तरित किये जाने वाले अभियोगों को पुलिस कमिश्नरेट/जनपदीय पुलिस प्रमुख के आदेश से ही जनपदीय ए0एच0टी0 थाने को स्थानान्तरित किया जायेगा।

विवेचनात्मक कार्यवाही

- गुमशुदा/लापता नाबालिग के मामलों में किशोर न्याय अधिनियम के आदर्श नियम 2016 के नियम 92(5) के अंतर्गत जहां ऐसा बालक/बालिका चार माह तक बरामद नहीं हो सका है, ऐसे प्रकरण को संबंधित जिले के ए0एच0टी0 थाने में स्थानांतरित किये जाने विषयक प्रावधान एवं तत्विषयक निर्देश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे। ऐसे अभियोगों की विवेचना प्रभावी रूप से करते हुए उसकी प्रगति के बारे में ए0एच0टी0 थाना प्रत्येक तीन माह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रेषित करेगा।
- मानव तस्करी से सम्बन्धित स्थानान्तरित अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही तत्काल ए0एच0टी0 थाना प्रभारी द्वारा प्रचलित कर दी जायेगी तथा ए0एच0टी0 थाने की प्रशिक्षित टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से सर्च/रेस्क्यू आपरेशन तत्परता पूर्वक किया जायेगा। जिससे मानव तस्करी के प्रकरणों में गुमशुदा बालक/व्यक्तियों की तलाश व बरामदगी बिना समय गंवाये या बिना साक्ष्य नष्ट हुए की जा सके।

पुनर्वास एवं विधिक परामर्श

- मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के समुचित पुनर्वास, चिकित्सा उपचार, विशेषज्ञ द्वारा काउंसलिंग, निःशुल्क विधिक सहायता, आश्रय एवं क्षतिपूर्ति आदि सेवायें, संबंधित विभागों के सहयोग से उपलब्ध करायी जायेंगी। जिसके लिए ए0एच0टी0 थाने के प्रभारी संबंधित विभागों के सक्षम अधिकारियों से यथा अपेक्षित समन्वय स्थापित करेंगे।
- जनपदीय ए0एच0टी0 थाना प्रभारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल गृह, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टाप सेन्टर, बाल कल्याण समिति,

जिला बाल संरक्षण इकाई, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा परीक्षण व उपचार सेवाओं तथा श्रम विभाग के अधिकारीगण सहित जनपद में अन्य विशेषज्ञों एवं संसाधनों की लिस्ट तैयार कर आवश्यकता पड़ने पर समन्वय स्थापित करेंगे।

- ए0एच0टी0 थाने पर प्रचलित/विवेचनाधीन अभियोगों की विवेचना एवं सर्च/रेस्क्यू आपरेशन से सम्बन्धित विधिक बिन्दुओं पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)/जनपदीय लोक अभियोजक से विधिक सहायता ली जायेगी।
- महिला एवं बाल विकास उ0प्र0 के शासनादेश के माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित समेकित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme) के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में 70 काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन में 59 काउंसलर एवं वन स्टाप सेन्टर में 70 काउंसलर जिनकी कुल संख्या 199 है, की तैनाती किये जाने का प्रावधान के क्रम में वर्तमान में सभी काउंसलर को नामित किया गया है जो नियमित रूप से कार्यरत है। इन काउंसलर्स का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (W.C.S.O.) मुख्यालय द्वारा इन काउंसलर्स की सूची प्रत्येक तीन माह में अद्यावधिक करते हुये जनपदों को प्रेषित की जायेगी।

<u>समीक्षा एवं पर्यवेक्षण</u>

- कमिश्नरेट एवं जनपदीय पुलिस प्रमुख द्वारा जनपद में प्रत्येक माह आयोजित होने वाली अपराध गोष्ठी में ए0एच0टी0 थाने में मानव तस्करी से सम्बन्धित प्रकरणों की विवेचना व सर्च/रेस्क्यू आपरेशन की समीक्षा की जायेगी।
- ए0एच0टी0 थाने में पंजीकृत समस्त अभियोगों व थानों से स्थानान्तरित होकर आने वाले अभियोगों की विवेचना एवं सर्च/रेस्क्यू आपरेशन प्राथमिकता के आधार पर किये जायें तथा मासिक पर्यवेक्षण नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित रूप से किया जाये।
- कमिश्नरेट/जनपदीय पुलिस प्रमुख द्वारा मानव तस्करी से सम्बन्धित प्रकरण का अनावरण 06 माह तक न होने पर विवेचना व सर्च/रेस्क्यू आपरेशन के संबंध में त्रैमासिक सघन पर्यवेक्षण किया जाये।

<u>जागरूकता एवं सामान्य निर्देश</u>

- जनपद में मानव तस्करी से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं मानव तस्करी रोधी थानों की भूमिका के बारे में जनजागरूकता एवं ए0एच0टी0 थाने के स्टाफ के क्षमतावर्धन हेतु समय–समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये।
- उक्त प्रकरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। सर्च/रेस्क्यू आपरेशन में लापरवाही/उपेक्षा किये जाने के प्रकरणों में प्रकरण स्थानांतरित करने वाले स्थानीय थाने व जनपदीय ए0एच0टी0 थाने के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक 08.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जनपद लखनऊ में हत्यारा गैंग के रूप में पंजीकृत डी 34 शुभम रावत उर्फ़ मोनू गैंग के 03 कुख्यात अपराधी जनपद बाराबंकी से गिरफ्तार।

दिनांक–07–10–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद लखनऊ में भाड़े पर हत्या करने वाले पंजीकृत गैंग डी 34 शुभम रावत उर्फ़ मोनू गैंग के 03 कुख्यात अपराधियों को अवैध शस्त्रों की खरीद–फरोख्त करते वक्त गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरण–</u>

(1)– अजय यादव उर्फ़ प्रिंस पुत्र भगौती यादव निवासी ग्राम गढ़ी संजरखान, थाना मलीहाबाद, लखनऊ।

(2)– कृष्ण रावत पुत्र राजन निवासी ग्राम तेज किशन खेडा बिबीचक, थाना काकोरी, लखनऊ।

(3)– रामकेश लोधी पुत्र जीत बहादुर निवासी तेज किशन खेडा, थाना काकोरी, लखनऊ।

<u>बरामदगी–</u>

(1)– 2 अदद पिस्टल मय मैगजीन 7.65 mm

(2)– 1 अदद तमंचा 315 बोर।

(3)– 8 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 mm

(4)– 4 अदद मोबाइल फ़ोन।

(5)– 1 अदद पिट्ठू बैग।

(6)– 1 अदद हीरो स्प्लेंडर मोटर साईकल।

<u>घटनास्थल का दिनांक/समय/स्थान–</u>

स्थान–सफेदाबाद क्रासिंग के आगे प्राथमिक विद्यालय धमसारी के पास कोतवाली नगर जनपद–बाराबंकी। दिनांक 07–10–2025, समय–17.50 बजे सायं।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी समय से संगठित रूप से भाड़े पर लूट–हत्या करने वाले गिरोह व संगठित रूप से अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के सम्बन्ध में सूचनाऐं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही एसटीएफ मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पर्वेक्षणाधीन टीम द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर ख़ास से ज्ञात हुआ कि दिनांकः–07–10–2025 को लखनऊ के कुख्यात व पंजीकृत हत्यारा गैंग डी 34/24 के अपराधी रामकेश, श्रीकृष्ण, रिंकू जो हाल में ही हत्या व गैंगस्टर जैसे मुकदमो में जेल से छूटे हैं तथा अपने गैंग के लिए असलहा खरीदने के उद्देश्य से असलहा तस्कर अजय यादव उर्फ़ प्रिन्स के पास सफेदाबाद क्रासिंग, जनपद बाराबंकी के आसपास आने वाले हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षकगण अतुल चतुर्वेदी, देवेन्द्र पाल, प्रदीप सिंह व अरशद खान, मु0आरक्षीगण राम निवास

शुक्ल, राजीव कुमार, नीरज पाण्डेय व सुशील कुमार सिंह, आरक्षीगण बृजेश बहादुर सिंह, अमित त्रिपाठी व अमर श्रीवास्तव की एक टीम ने मुखबिर द्वारा बताये गए स्थान से उपरोक्त अभियुक्तों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पकड़े गए अभियुक्त अभियुक्त श्री कृष्ण व रामकेश उपरोक्त ने बताया की हम लोग काफी लम्बे समय से अपराध में लिप्त है व कई बार जेल जा चुके हैं। हम लोगो ने अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर विगत वर्ष पैसा लेकर काकोरी के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काफिले पर जानलेवा हमला किया था, जिसमे ब्लॉक प्रमुख तो घायल हो गया था परन्तु उसका एक आदमी मारा गया था। उस घटना के बाद हमारा पूर गैंग पकड़ लिया गया था और हमारे गैंग के काफी असलहे पकड़े गए थे। जिस वजह से हमें व हमारे गिरोह के लोगो को लूटपाट करने व ठेका लेकर हत्या करने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। जेल से छूटने के बाद हम लोग लगातार असलहा तस्कर आदित्य अवस्थी व अजय यादव उर्फ़ प्रिन्स के सम्पर्क में थे आज हम अपने गैंग के साथी रिंकू की ब्रेजा कार से असलहे खरीदने यहाँ आये थे।

गिरफ्तार कृष्णा रावत व रामकेश लोधी जनपद लखनऊ के कुख्यात व पंजीकृत हत्यारा गैंग डी 34/24 शुभम रावत उर्फ़ मोनू गैंग के सदस्य है व जनपद लखनऊ के घोषित जिला बदर अपराधी है। जिनके विरुद्ध लखनऊ में निम्न अभियोग पूर्व से पंजीकृत है।

<u>कृष्ण रावत पुत्र राजन का अपराधिक इतिहासः</u>

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	795/2018	147,148,149,323,504,506,307,308,325 भादवि	काकोरी	जनपद लखनऊ।
2	734/2019	147,323,504,506 भादवि	काकोरी	जनपद लखनऊ।
3	735/2019	323,504,506,427 भादवि	काकोरी	जनपद लखनऊ।
4	0063/2020	447,504,506 भादवि व 2,3 सार्वजनिक संपत्ति नुक्सान निवारण अधिनियम	काकोरी	जनपद लखनऊ।
5	214/2021	182,447,504,506 भादवि	काकोरी	जनपद लखनऊ।
6	93/2024	3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट,25,27,3,9 आर्म्स एक्ट,147,148,149,302,307,506 भादवि	काकोरी	जनपद लखनऊ।
7	311/2024	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम	काकोरी	जनपद लखनऊ।
8	24/2025	3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट	काकोरी	जनपद लखनऊ।

<u>रामकेश लोधी पुत्र जीत बहादुर का अपराधिक इतिहासः</u>

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	158/2021	147,419,420,467,468,471,323,504,506 भादवि	काकोरी	जनपद लखनऊ।
2	214/2021	182,447,504,506 भादवि	काकोरी	जनपद लखनऊ।
3	311/2024	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम	काकोरी	जनपद लखनऊ।
4	93/2024	3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट,25,27,3,9 आर्म्स एक्ट,147,148,149,302,307,506 भादवि	काकोरी	जनपद लखनऊ।
5	14/2025	3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट	काकोरी	जनपद लखनऊ।

<u>अजय यादव उर्फ़ प्रिंस पुत्र भगौती यादव का अपराधिक इतिहासः</u>

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	187/2020	147,323,325,452,506 भादवि	मलिहाबाद	जनपद लखनऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद–बाराबंकी में मु0अ0सं0 936/2025 धारा 111(1) बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थ 180 किलो 450 ग्राम डोडा/पोस्त (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 36 लाख रुपये), 01 अदद XUV 300 कार व 01 अदद मोबाइल बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, ऑपरेशनल यूनिट मेरठ के नेतृत्व में एएनटीएफ थाना सहारनपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थ 180 किलो 450 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 36 लाख रुपये), 01 अदद XUV 300 कार व 01 अदद मोबाइल बरामद कर, थाना कोतवाली बडौत, जनपद बागपत में मु0अ0सं0 655/2025 धारा 8/15/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 1985 व 341(2)/318 बीएनएस पंजीकृत कराकर, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक व समय–

दिनांक– 07.10.2025 स्थान– कन्या इन्टर कालेज के सामने, ग्राम बावली थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।

कुल बरामदगी–

1. 180 किलो 450 ग्राम अवैध डोडा/पोस्त (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 36 लाख रुपये) ।
2. 01 अदद XUV 300 कार
3. 01 अदद मोबाइल फोन
4. 01 अदद आरसी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ए.एन.टी.एफ. थाना सहारनपुर–

1. उ0नि0 श्री रवि, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।
3. मु0आ0 अश्वनी कुमार, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।
4. आ0 अंकित कुमार, ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर ।

सहयोगार्थ पुलिस टीम कोतवाली बडौत जनपद बागपत–

1. उ0नि0 श्री आसिफ अली कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
2. है0का0 बन्टी रावल कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।
3. है0का0 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 07.10.2025 की रात्रि थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सिंगरा जंगल से बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राहुल उर्फ छोटा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल उर्फ छोटा निवासी ग्राम मंगलौरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बागपत/थाना रमाला

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 08.10.2025 को थाना रमाला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरवाला गेट के पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रितिक उर्फ गोविन्द को घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना रमाला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था,जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रितिक उर्फ गोविन्द निवासी ग्राम हिलावडी थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी

1—लूट का 01 मोबाइल फोन।

2—01 अवैध तमंचा 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कौशाम्बी/थाना महेवाघाट

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07.10.2025 की रात्रि थाना महेवाघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम डक शरीरा से अलवारा रोड नहर पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रचित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना महेवाघाट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महेवाघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रचित निवासी ग्राम मितवापुर थाना संदीपनघाट जनपद कौशाम्बी।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना ऊँचाहार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना ऊँचाहार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उज्जवल प्रसाद उर्फ विजय प्रसाद को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना औंग (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना औंग पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अजय शंकर को आजीवन कारावास व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 व 376डी भादवि सपठित धारा 3/4पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————